नोट फार पैड ऑफ हरकोबैंक

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACS) तीन स्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में से एक हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और 7% ब्याज दर पर फसली ऋण किसानों को देकर उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हालांकि, जो किसान समय पर अपना बकाया चुका रहे हैं (अर्थात अच्छा भुगतानकर्ता) केंद्र सरकार की 3% और राज्य सरकार की 4% प्रदान की गई ब्याज छूट के कारण उनके लिए ब्याज की प्रभावी दर 0% है। तीन स्तरीय प्रणाली यानी राज्य स्तर पर हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक (हरको बैंक), जिला स्तर पर 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) और प्राथमिक स्तर पर 771 PACS/PCCS हरियाणा राज्य में कार्य कर रहे हैं। हरको बैंक 4.50% प्रति वर्ष की रियायती दर पर फसली ऋण की ग्राउंड लेवल क्रेडिट की मांग को पूरा करने के लिए नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त कर रहा है। नाबार्ड कुल नए ग्राउंड लेवल क्रेडिट के 40% की सीमा तक पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। हरको बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 5.00% की ब्याज दर पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है और अपने स्वयं के फंड से कुल ग्राउंड लेवल क्रेडिट में 10% हिस्से का योगदान देता है। हरको बैंक से ग्राउंड लेवल क्रेडिट का 50% हिस्सा उधार लेने के अतिरिक्त, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्वयं के फंड से शेष 50% हिस्सा दे रहे हैं।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा अपने सदस्यों/किसानों को बिना किसी (Collateral security) संपार्श्विक प्रतिभूति के मु0.1.60 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। सदस्य/उधारकर्ता की अधिकतम ऋण सीमा (MCL) वित्त के पैमाने के आधार पर की जाती है। एमसीएल तैयार होने के बाद अलग से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में पैक्स 12,24,399 किसानों को 7% की ब्याज दर पर फसली ऋण प्रदान कर रही हैं, जिनमें से 6,35,926 अच्छे भुगतानकर्ता हैं, जिन्हें फसली ऋण 0% पर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार द्वारा उन किसानों को जो फसली ऋण का समय या समय से पूर्व भुगतान करते हैं, प्रोत्साहन स्वरूप 3% ब्याज राहत योजना और राज्य सरकार से 4% ब्याज राहत योजना-2014 के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है ताकि उनमें अपना बकाया ऋण समय चुकाने की आदत को विकसित किया जा सके। केंद्र

सरकार और राज्य सरकार की ब्याज राहत का वार्षिक हिस्सा लगभग मु0.125.00 करोड़ और 130.00 करोड़ रुपये क्रमशः है ।

हरको बैंक और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक न केवल किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य में इन बैंकों द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाएं जैसे व्यक्तिगत ऋण, वाहन खरीद ऋण, गृह निर्माण, नया उद्योग प्रारम्भ करने, व्यवसाय बढ़ाने के लिए, गोदाम बनाने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने हेतु,संस्थागत ऋण जैसे चीनी मिलों को, HSIDC, Housing Board, HSCARDB, Hafed, Haryana State Ware Housing Corporation योग्यता व उनकी मांग अनुसार प्रदान की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (SHG) व संयुक्त देयता समूह (JLG) इत्यादि को भी ऋण प्रदान किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त ये बैंक उन सदस्यों को जो ज्यादातर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, पिछले 56 वर्षों से अपने जमाकर्ताओं सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ।

नोट फार पैड ऑफ एचएससीएआरडीबी

बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत हरियाणा राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड के नाम और शैली में की गई थी। वर्ष 1974 में बैंक का नामकरण बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया और उसके बाद बैंक का नामकरण बदलकर हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया (एचएससीएआरडीबी)। बैंक की स्थापना के समय, राज्य में केवल सात पीसीएआरडीबी थे, अब तहसील और उप-तहसील स्तर पर 70 शाखाओं के साथ 19 जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (डीपीसीएआरडीबी) हैं।

बैंक का मुख्य उद्देश्य अपने 19 जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ((DPCARDB) और उनकी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ गैर कृषि क्षेत्र उद्देश्यों के लिए कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। एचएससीएआरडी बैंक दीर्घावधि वित्त प्रदान करने और डीपीसीएआरडीबी और उनकी शाखाओं के कार्यों

के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है। राज्य में जिला प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने बैंक की स्थापना के बाद से 31.03.2022 तक 1175874 लाभार्थियों को 7179.98 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया है। बैंक किसानों को सालाना 12.50 साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार नियमित रूप से अपने बकाया का भुगतान करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान कर रहा है और किसान को प्रभावी ब्याज दर 6.25 प्रतिशत है जो केवल हरियाणा राज्य में है। बैंक 2018 से नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर रहा है और अंतिम उधारकर्ताओं की वसूली की गई राशि से अपने स्वयं के संसाधनों पर किसानों को वित्तपोषण कर रहा है। बैंक ने नाबार्ड की सभी बकाया राशि अदा कर दी है और वर्तमान में बैंक की ओर नाबार्ड की कोई राशि बकाया नहीं है। बैंक विभिन्न कृषि और गैर-कृषि योजनाओं के तहत किसानों को वित्तपोषित कर रहा है, जैसे बागवानी, कृषि यंत्रीकरण, भूमिगत पाइपलाइन, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मछली पालन, भूमि समतलीकरण, ग्रामीण आवास योजना, कृषि उपकरण, भूमि की खरीद और गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अन्य निर्माण इकाइयां।

*****

NOTE FOR PAD

HARCO BANK

Primary Agriculture Cooperative Societies (PACS) are working at grass root level and are one of the three tier Short Term Cooperative Credit Structures, catering to the financial needs of the farmers for crop loans @ 7% rate of interest. However, the farmers who are timely repaying their dues (i.e. good paymaster) the effective rate of interest is 0% owing to Interest Subvention provided by Central Govt. @ 3% & State Govt. @ 4%. The three tier system i.e. Haryana State Cooperative Apex Bank (Harco Bank) at State Level, 19 District Central Cooperative Banks (DCCBs) at District Level and presently 771 PACS/PCCS are working in the State of Haryana. Harco Bank is availing refinance facility from NABARD to meet out the demand of Ground Level Credit of crop loan at concessional rate of interest @ 4.50% per annum. NABARD is providing refinance to the extent of 40% of the total fresh Ground Level Credit. Harco Bank providing refinance facility to DCCBs at interest rate of 5.00% and contributing 10% share of total Ground Level Credit from its own funds. Besides borrowing from Harco Bank 50% share of Ground Level Credit, DCCBs are contributing remaining 50% share from its own funds.

Crop loan to the extent of Rs. 1.60 lakh is being provided by the Primary Agriculture Cooperative Society (PACS) to its members/farmers without any collateral security. The maximum credit limit (MCL) of member/borrower is worked out on the basis of scale of finance. No separate application is required once the MCL is prepared. Presently PACS are providing Crop loan to 12,24,399 farmers at interest rate of 7% out of which 6,35,926 are good paymasters, to whom Crop loan is being provided @ 0% as Interest Subvention is being received @ 3% from GoI under "interest Subvention Scheme as incentive to farmers for prompt repayment of crop loans" and @ 4% from State Govt. under "State Interest Subvention Scheme 2014" for members of PACS to provide interest relief to the loanee members of PACS in the State of Haryana who will repay their dues on or before due date to PACS, to give rebate in rate of interest @4% so that they are encouraged to make it a habit to pay their dues in time in future. The share of the GoI. and State Govt. towards Interest Subvention is approx. 125.00 to 130.00 crore yearly.

Harco Bank and DCCBs are not only providing agriculture loans to the farmer but also playing a vital role in the State economy and catering to the financial needs of the people by providing loans facilities for different activities under various schemes i.e. Personal Loan, Purchase for vehicle, House loan, Industrial purpose, working Capital for expansion of business, Construction of Godown, Installation of Green House, Institutional lending such as Finance to Sugar Mills, HSIDC, Housing Board, HSCARDB, Hafed, Haryana State Ware

Housing Corporation etc. as per eligibility and demand. Further, Self Help Groups, (SHGs) & Joint liability Group (JLGs) etc. are also being financed. Besides, these banks are also providing all banking services to its depositors who are residing mostly in rural areas of Haryana since last 56 years.

HSCARDB

The Bank was set up on 1st Nov.1966 under the Punjab Cooperative Societies Act, 1961 (replaced by Haryana Cooperative Societies Act, 1984) in the name and style of the Haryana State Cooperative Land Mortgage Bank Limited. The nomenclature of the bank was changed to the Haryana State Cooperative Land Development Bank Limited in the year 1974 and thereafter the nomenclature of the bank was changed to The Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank Ltd; (HSCARDB). At the time of establishment of the bank, there were only seven PCARDBs in the State, now there are 19 District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) with 70 branches at Tehsil and Sub-Tehsil level.

The main objective of the Bank is purveyance of Long Term Credit to the agriculturists through its 19 District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) and their branches under various Agriculture and its allied activities along with NFS purposes. HSCARDB acts as an Apex Institution both for providing long term finance and for coordinating the functions of DPCARDBs and their branches. The District Primary Agriculture and Rural Development Banks (DPCARDBs) in the State have provided Long Term Credit amounting to Rs.7179.98 Crores to 1175874 beneficiaries up to 31.03.2022 since the inception of the Bank. The Bank is providing loan to the farmers @ 12.50 simple rate of interest annually. The State Govt. is providing the 50% interest subvention to the farmers who are paying their dues regularly and the effective rate of interest to the farmer is 6.25% which is only in the State of Haryana. The Bank is not availing the refinance from NABARD since 2018 and financing to the farmers at its own resources from the recovered amount of ultimate borrowers. The Bank has made all the outstanding amount of NABARD and at present there is not outstanding amount of NABARD towards the Bank. The Bank is financing the farmers under the various agriculture & non-agriculture schemes i.e. Horticulture, Farm Mechanisation, Underground Pipelines, Minor Irrigation, Dairy Development, Poultry Farming, Fish Farming, Land levelling, Rural Housing Scheme, Agriculture Implements, Purchase of Land and other manufacturing units under Non Farm Sector.

*****